

प्रपत्र-33

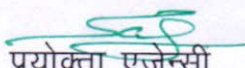
परियोजना का नाम— जनपद चमोली की बद्रीनाथ विधान सभा के अन्तर्गत पोखरी (ग्राम उदयपुर एवं ग्राम सिनाऊ तल्ला मल्ला) में राजकीय पॉलीटेक्निक पोखरी, चमोली के निर्माण हेतु कुल रकवा 0.964 हे० अर्थात् 2.3815 एकड़ वन भूमि हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रस्ताव।

लाभान्वित होने वाले ग्रामों/परिवारों/जनसंख्या के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण से निम्न प्रकार स्थानीय ग्रामों/परिवारों/जनसंख्या को लाभ प्राप्त होगा।

क्र०सं०	ग्राम का नाम	लाभान्वित होने वाली जनसंख्या	परिवारों की संख्या
1-	उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 746/XLI-1/2013-74/13 , दिनांक 08 अगस्त 2013 द्वारा जनपद चमोली की बद्रीनाथ विधान सभा के अन्तर्गत पोखरी (ग्राम उदयपुर एवं ग्राम सिनाऊ तल्ला मल्ला) में राजकीय पॉलीटेक्निक पोखरी, संस्थान की स्थापना करने का निर्णय लिया गया। इस परियोजना की स्थापना का मुख्य उद्देश्य पोखरी तहसील के अन्तर्गत आने वाले दूर-दराज के ग्रामीण इलाकों के भावी पीढ़ी को रोजगारपरक डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षा हेतु अवसर प्रदान करना है, जिससे ग्रामीण परिवेश के युवाओं को भी तकनीकी क्षेत्र में रोजगार के नये अवसर प्राप्त हो सकें और स्थानीय बेरोजगारी का उन्मूलन हो सके। इस तरह की परियोजना से पर्वतीय क्षेत्र में लम्बे समय से चली आ रही पलायन की समस्या को रोकने में भी सहायता मिलेगी और क्षेत्र का सामाजिक एवं आर्थिक विकास हो सकेगा। इस परियोजना से क्षेत्र के 150 गांवों के लगभग 45000 लोग लाभान्वित होंगे।		

ह०



प्रयोक्ता एजेन्सी

समन्वयक/प्रधानाचार्य
राजकीय पॉलीटेक्निक
पोखरी, चमोली

नोट:- उक्त प्रमाण-पत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा निर्गत किया जायेगा।